न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 219/19-20

18-02-20
25-02-20
17-03-20
03-04-20
25-09-20
09-10-20

धारा 107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस।

रतिलाल सोरेन वगै. बनाम रावन सोरेन एवं 3 अन्य

स्थानीय पुलिस हरलाडीह ओ0पी0 थानाः खुखरा से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया हैं, के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि

उभय पक्षों के बीच मारपीट एवं गाली–गलौज, धमकी देना होते रहता है

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति–व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शांति भंग, खून–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 18/02/2020 को कारण–पृच्छा की मांग की जाती हैं कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/– रूपये के दो–दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध–पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

05-8-20

प्रथम पक्ष –

1	रतिलाल सोरेन	उम्र : 38 वर्ष	पिता : चुन्नु सोरेन
2	महोदेव सोरेन	उम्र : 40 वर्ष	पिता : चुन्नु सोरेन
3	सुन्दर सोरेन	उम्र : 45 वर्ष	पिता : चुन्नु सोरेन
4	शांति देवी	उम्र : 35 वर्ष	पति : रतिलाल सोरेन
5	प्रतिमा देवी	उम्र : 34 वर्ष	पति : महादेव सोरेन

साकिन : मोनाटॉड़, ओ.पी. हरलाडीह, थानाः खुखरा।

– बनाम –

द्वितीय पक्ष –

1	रावन सोरेन	उम्र : 50 वर्ष	पिता : स्व. सोनवा सोरेन
2	दिपचॉद सोरेन	उम्र : 35 वर्ष	पिता : रावन सोरेन
3	राजू सोरेन	उम्र : 31 वर्ष	पिता : रावन सोरेन
4	पार्वती देवी	उम्र : 48 वर्ष	पति : रावन सोरेन

साकिन : मोनाटॉड़, ओ.पी. हरलाडीह, थानाः खुखरा।

लेखापित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Scanned with CamScanner

दं.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 219/19-20 .

रतिलाल सोरेन वगै० बनाम रावन सोरेन वगै०

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ हीं अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12.12.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

12.12.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Scanned with CamScanner